



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262235  
CG-DL-E-02042025-262235

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2025/चैत्र 12, 1947

No. 175]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2025/CHAITRA 12, 1947

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 214(अ).—सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को सरकारी बचत संवर्धन सामान्य (संशोधन) नियम, 2025 कहा जा सकेगा।  
(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018 में अनुसूची II में, सेवाओं हेतु प्रभारित किए जाने वाले शुल्क के तहत, शब्द और आंकड़े "(ख) नामांकन का निरसन अथवा उसमें परिवर्तन-₹50" का विलोपन किया जाएगा।

[फा. सं. 1/4/2023-एनएस(भाग.)]

सोलोमन अरोकियाराज, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम मूल रूप से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1003(अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, जिसे बाद में संख्या सा.का.नि. 238 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2023 के तहत संशोधित किया गया और तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 488(अ), दिनांक 3 जुलाई, 2023 के तहत संशोधित किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd April, 2025

**G.S.R. 214(E).**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to further amend the Government Savings Promotion General Rules, 2018, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Government Savings Promotion General (Amendment) Rules, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

2. In the Government Savings Promotion General Rules, 2018, in the Schedule II, under Fee to be charged for services, the words and figures “(b) Cancellation or change of nomination – ₹50” shall be deleted.

[F. No. 1/4/2023-NS(Pt.)]

SOLOMON AROKIARAJ, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules was originally published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (i) *vide* notification number G. S. R. 1003(E), dated the 5th October, 2018 , subsequently amended *vide* number G.S.R. 238(E), dated the 31st March, 2023 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 3<sup>rd</sup> July, 2023.